# पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. –9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in


पत्र संख्या- 373/2024

## प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-24.12.2024

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 24.12.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी हैः-

**01.थाना- जीयनपुरः किशोरी को अगवाकर दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार।**

पूर्व की घटना/इतिहास–

अवगत कराना है कि दिनांक 26.11.2024 को वादी मुकदमा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ उपस्थित थाना आकर प्रार्थना पत्र दिये की मेरी जिसकी उम्र करीब 16 वर्ष है दिनांक 25/11/2024 को समय करीब सुवह के 09 बजे कालेज अजमतगढ में गई थी और जब काफी देर हुआ और स्कूल से वापस नही आई तो मै बहुत ज्यादा परेशान हो गया उसके बाद हम परिवार वालो ने आस पास के लोगो से पुछा लेकिन पता नही चला मेरी लडकी दिनांक 26.11.2024 के शाम 4.30 वजे किसी अज्ञात व्यक्ति के फोन नम्बर से फोन करके कही की मेरी साईकिल मछली मार्केट जीयनपुर के तिराहा पर खडी है आप उसे घर लेकर चले जाईयेगा के सम्बन्ध मे प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 528/2024 धारा 137(2) बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 अमित कुमार वर्मा द्वारा सम्पादित की जा रही है। विवेचना के क्रम मे मुकदमा उपरोक्त मे धारा 65(1)/87BNS व 4(2) पाक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गयी व अभियुक्त अजीत कुमार पुत्र विजय शंकर राम निवासी महेन थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर का नाम प्रकाश मे आया-

**गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–**

आज दिनांक 24.12.2024 को उ0नि0 अमित कुमार वर्मा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अपहता को बरामद व अभियुक्त अजीत कुमार पुत्र विजय शंकर राम निवासी महेन थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 20 वर्ष को समय 10.51 बजे जीयनपुर बस स्टैण्ड के पास से गिरफ्तार किया गया तथा मुकदमा उपरोक्त मे धारा 65(1)/87BNS व 4(2) पाक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गयी व आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**02. थाना जहानागंजः प्राथमिक विद्यालय व फास्ट फूड की दुकान से हुई सामान की चोरी के साथ 03 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।**

पूर्व की घटना-

दिनांक 09.04.2024 को थाना जहानागंज के वादी कृष्णानन्द वर्मा पुत्र श्री विन्द्रा प्रसाद वर्मा प्रधानाध्यापक प्रा0वि0 शेरपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ नें उपस्थित थाना आकर एक प्रार्थना पत्र दिया कि अज्ञात चोरों द्वारा दिनांक 29.03.2024 की रात्रि में प्राथमिक विद्यालय शेरपुर कुटी का ताला तोड़कर सेलवेल मोटर (क्राम्टन) व कुछ रजिस्टर तथा खाद्दान सामाग्री 100 KG गेहूं व 100 KG चावल चुरा ले जाने के सम्बन्ध में जिसके तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 152/24 धारा 457, 380 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना उ0नि0 लालबहादुर मौर्य द्वारा की जा रही है व दिनांक 15.12.2024 को थाना जहानागंज के वादी प्रकाश सिंह पुत्र तहसीलदार सिंह निवासी कादीपुर दौलताबाद थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ ने उपस्थित थाना आकर एक प्रार्थना पत्र बावत अज्ञात चोरों द्वारा कादीपुर दौलताबाद बाजार में वादी की फास्ट फुड की दुकान में पीछे के साइड से एग्जास्ट फैन तोड़कर दुकान के अन्दर घुसकर बैटरी इन्वर्टर, 02 गैस सिलेण्डर व गल्ले से लगभग 20,000/- रूपया चुरा ले जाने के सम्बन्ध में जिसके आधार पर मु0अ0सं0- 615/24 धारा 331(4), 305 बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना उ0नि0 सुधांशू मिश्रा द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 24/12/24 को प्र0नि0 विरेंद्र कुमार मय हमराही को सूचना मिली कि कादीपुर बाजार मे हुई चोरी का सामान व थाना क्षेत्र में हुई अन्य चोरी का सामान लेकर कुछ लोग कादीपुर से शेरपुर जाने वाले रास्ते पर नउवा की पोखरी के पास खड़े हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुँच कर उक्त तीनो बाल अपचारियों को घेरकर पकड़ लिया गया। बाल अपचारियों के कब्जे से 01 बैटरी व 01 इन्वर्टर तथा 02 सिलेंडर व कुल 500/- रु0 बरामद किया गया। उक्त तीनों बाल अपचारियों को समय करीब 04.00 बजे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है।

**बरामदगी का विवरण-**

01 बैटरी व 01 इन्वर्टर तथा 02 सिलेंडर सम्बन्धित मु0अ0सं0- 615/24 धारा 305(a), 331(4), 317(2) बीएनएस बरामद कुल 500/- रु0 सम्बन्धित मु0अ0सं0 152/24 धारा 380,457 411 भादवि।

**प्रेस-विज्ञप्ति**

**"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 आरोपी अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

**थाना कोतवाली: हत्या के 02 आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व 22-22 हजार रूपये जुर्माना**

➡ दिनांक- 11.04.2015 को वादी मुकदमा नन्हेलाल पुत्र स्व0 मुन्नर नि0 बद्दोपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ ने थाना तरवां पर लिखित तहरीर दी थी कि दिनांक-10.04.2015 को विपक्षी 1. अखिलेश यादव पुत्र रामनरेश नि0 बद्दोपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ 2. दुलारी भारती पुत्री किशुन नि0 बस्ती सिधारी थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी मुकदमा के भाई का गला काटकर हत्या कर दिया गया था।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना तरवां पर मु0अ0सं0- 140/2015 धारा 302/201 भादवि0 पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 11 गवाह परीक्षित हुए है।

➡जिसके क्रम में दिनांक- 24.12.2024 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ कोर्ट नं0- 06 द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. अखिलेश यादव पुत्र रामनरेश नि0 बद्दोपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ 2. दुलारी भारती पुत्री किशुन नि0 बस्ती सिधारी थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं 22-22 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।